Title: Regarding recognition of B.Ed. degrees awarded by various colleges of J&K.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तर की अध्यापकीय शिक्षक संस्थाओं अर्थात बीएड कॉलेजों को मान्यता हेतु भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिद (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन) का गठन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिद अधिनियम 1993 के तहत किया है जो वर्ा 1995 से देश भर में लागू है।

इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्य व अनुमति प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त बी.एड. डिग्री ही विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वैध मानी जाती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिद का अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। जम्मू-कश्मीर से प्रदत्त बी.एड. डिग्रीधारक देश के अन्य राज्यों में नियुक्तियां पाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में राजस्थान में शिक्षक भर्ती के समय जम्मू-कश्मीर से प्राप्त डिग्रीधारकों को परीक्षा में तो बैठने दिया गया, मगर बाद में जम्मू कश्मीर से प्राप्त बी.एड. डिग्री की वैधता और मान्यता को लेकर राज्य में संशय की स्थिति बनी हुई है तथा राज्य सरकार ने फिलहाल जम्मू-कश्मीर से प्राप्त डिग्रीधारकों के परिणाम पर रोक लगा दी है। जब जम्मू-कश्मीर में एन.सी.टी.ई. अधिनियम लागू ही नहीं है...(*Interruptions*)

Sir, I want to know whether the degrees being awarded by the Jammu and Kashmir University are recognised or not, whether the National Council of Technical Education recognises them or not. What is the exact position? So, it is my submission to the hon. Minister of Human Resource Development to clear the position.

There are thousand of students of Rajasthan who have done their B.Ed from Jammu and Kashmir. If steps are not taken, they would be deprived of the jobs which are guaranteed to them. Thank you.

MR. SPEAKER: That is a good point.

Now, Prof. Shiwankar. You have given a notice for raising two issues. But you have to raise only one issue. It may be either on statue or on irrigation project.